छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क0 5150 /आ.भू.अ./सां./सा.सा./1/2014–15, रायपुर, दिनांक– 12 DEC 2014

प्रति,

(1) कलेक्टर,
जिला....., छत्तीसगढ़ ।

(2) आंचलिक प्रबंधक,
जिला जलवायु, क्षेत्रीय परियोजना,
....., छत्तीसगढ़ ।

(3) उप संचालक कृषि,
जिला....., छत्तीसगढ़ ।

(4) सहायक संचालक उद्यानिकी,
जिला.....छत्तीसगढ़ ।

विषयः– कृषि विभाग तथा राजस्व विभाग के कृषि सांख्यिकी के आंकड़ों में भिन्नता को दूर करने के संबंध में।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 3333/बी 10/34/सां./2004–05/14–2, दिनांक 10.10.2005

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि विभाग तथा आयुक्त, भू–अभिलेख के द्वारा कृषि फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन बाबत जारी/प्रसारित किये गये आंकड़ों में पायी जाने वाली भिन्नता को दूर करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा राज्य में कृषि फसलों के क्षेत्रफल तथा उनके उत्पादन बाबत प्राप्त आंकड़ों में अत्याधिक भिन्नता होती है, जबकि दोनों ही आंकड़े संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से ही कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है, कि संदर्भित पत्र के माध्यम से दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये थे, कि कृषि फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिये ग्राम स्तर पर कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को दी जावेगी, जिसे तहसील/अनुविभाग स्तर पर एकत्रित कर कृषि/उद्यानिकी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। इसी तरह जिला स्तर पर उप संचालक/संयुक्त संचालक कृषि/उप/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख के संयुक्त रूप से

संकलित की गई जानकारी को कलेक्टर द्वारा अपने हस्ताक्षर से कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग को प्रेषित किया जावे। इस प्रकार जानकारी तैयार करने से राजस्व एवं कृषि विभाग के द्वारा कृषि फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी तैयार की जाने वाली आंकड़ों में भिन्नता नहीं होगी, लेकिन यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का सूक्ष्मता से पालन न करने से अभी भी भिन्नता की स्थिति बनी हुई है, जो कि उचित नहीं है।

2/ अतः संदर्भित पत्र की कंडिका 2 (अ) 2 (ब) 2 (स) में बताये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जानकारी संकलित कर संयुक्त हस्ताक्षरित जानकारी समस्त कलेक्टर द्वारा आयुक्त भू–अभिलेख को भेजते हुए उसकी एक प्रति संचालक कृषि तथा संचालक उद्यानिकी को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा समस्त जिलों से संयुक्त जानकारी संकलित कर यथासमय इसका प्रकाशन कर समस्त संबंधितों को प्रेषित किया जाय।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

10/12/14

(अजय सिंह)
अपर मुख्य सचिव
एवं
कृषि उत्पादन आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

(के. आर. पिस्दा)
सचिव,
राजस्व एवं आयुक्त,
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, रायपुर

12 DEC 2014

पृ.क्रमांक 5151 /आ.भू.अ./सां./सा.सा./1/2014=15, रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. निज सचिव, मंत्री, कृषि विभाग, की ओर सूचनार्थ वे कृपया माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहेंगे ।
3. निज सचिव, मंत्री, राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ वे कृपया माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहेंगे ।
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
5. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
6. संचालक, भू–अभिलेख राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संचालक, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संचालक उद्यानिकी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. अनुविभागीय कृषि अधिकारी ———————————— (सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. तहसीलदार ———————————— (सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सहायक परियोजना अधिकारी (व. कृ. वि. अ.) ———————————— (सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10/12/14

(अजय सिंह)
अपर मुख्य सचिव
एवं
कृषि उत्पादन आयुक्त
छत्तीसगढद्य शासन, कृषि विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर

(के. आर. पिस्दा)
सचिव,
राजस्व एवं आयुक्त,
भू–अभिलेख छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

3333/बी-10/34

क्रमांक/सां./ / 2004–05/152 रायपुर दिनांक 10/10/05

प्रति,

1– कलेक्टर,
जिला–––––––––

2– ऑंचलिक प्रबंधक,
कृषि जलवायु क्षेत्रीय परियोजना,
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर

3– उप संचालक कृषि
जिला– बिलासपुर

4– अधीक्षक, भू–अभिलेख
जिला–––––––––

5– सहायक संचालक उद्यानिकी
जिला–––––––––

T-2

27.10.05

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य में प्रकाशित होने वाले कृषि सांख्यिकी के आंकड़े बाबत्।

––0––

वर्ष 2004 में कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख, छ.ग. रायपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि सांख्यिकी में विभिन्न फसलों के अंतर्गत जिलेवार आंकड़ों को प्रकाशित किया गया है जिनका मिलान कृषि विभाग में जिले स्तर में उपलब्ध रिकार्ड से विभिन्न फसलों के बोये गये रकबे से नहीं हो रहा है। जहां तक कृषि विभाग के विभागीय आंकड़ों का प्रश्न है, विगत वर्षों में छ.ग. राज्य में उचहन धान एवं अन्य अलाभकारी फसलों का क्षेत्राच्छादन कम हुआ है। फसलवार विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष 2003–04 में बोया गया रकबा

(इकाई हेक्टेयर में)

फसल	कार्यालय भू–अभिलेख से प्राप्त आंकड़े	कृषि विभाग द्वारा विभागीय आंकड़े	अंतर
धान (खरीफ+रबी)	3828992	3543270	285722
गेहूं	106109	164910	-58801
ज्वार (खरीफ+रबी)	9141	16040	-6899
बाजरा	47	0	47
जौ	4354	5520	-1166
मक्का (खरीफ+रबी)	98575	159890	-61315
कोदो–कुटकी	205388	146800	58588
चना	204701	298830	-94129
तुअर	52307	164580	-112273
मूंग (खरीफ+रबी)	18087	51840	-33753
उड़द (खरीफ+रबी)	121299	223680	-102381
कुल्थी (खरीफ+रबी)	56747	96410	-39663
तिवड़ा	460893	487850	-26957
मटर	17307	37940	-20633
मसूर	18024	27910	-9886
सोयाबीन	20835	81560	-60725
मूंगफली (खरीफ+रबी)	36318	68360	-32042
तिल (खरीफ+रबी)	25084	57810	-32726
रामतिल	74381	113257	-38876
राई–सरसों	55314	132780	-77466
कुसुम	880	7820	-6940
सूर्यमुखी (खरीफ+रबी)	6092	19210	-13118
अलसी	74975	158900	-83925
अरण्डी	84	0	84
योग	**5495934**	**6065167**	

इस राज्य में फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन के पूर्वानुमानों को समय–समय पर आपकी ओर से तैयार कर भेजे जाते है। जिन्हें संकलित किया जाकर राज्य स्तरीय आंकड़े आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा भारत शासन व राज्य शासन की ओर भेजे जाते है। इस राज्य के लिए आयुक्त भू–अभिलेख को कृषि

सांख्यिकीय प्राधिकारी (नोडल अधिकारी) घोषित किया गया है। भारत शासन द्वारा इस कार्यालय से भेजे गये आंकडों को अंतिम रूप से मान्य किये जाते है।

2. समय–समय पर कृषि विभाग द्वारा भी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के अनुमान पृथक से तैयार कर भारत शासन की ओर भेजे जाते है। इन आंकडों में तथा आयुक्त भू–अभिलेख द्वारा भेजे गये आंकड़ों में प्रायः अन्तर रहता है। अतः यह आवश्यक है कि दोनों विभाग आपस में सामन्जस्य स्थापित कर, एक ही आंकड़े भारत शासन की ओर भेजे।

अतः यह निरचय किया गया है कि कृषि विभाग के अमले द्वारा विभिन्न स्तरों पर भू–अभिलेख विभाग के अमले को इन आंकड़ों को तैयार करने में सहयोग देना चाहिए, ताकि यदि आंकड़ों के बारे मे कोई विवाद हो तो वह निचले स्तर पर ही दुरूस्त कर लिया जाये। राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा परस्पर सहमति से पूर्वानुमान एवं बोये गये क्षेत्रफल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रक्रिया सुझाई गई है।

(अ) ग्राम स्तर पर पटवारी द्वारा गिरदावरी करते समय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को अनिवार्य रूप से साथ में उपस्थित रहना चाहिए। यदि किसी फसल का क्षेत्रफल विशेष रूप से कम या अधिक होता है, तो इसकी जानकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा पटवारी को बताना चाहिए, ताकि गिरदावरी के समय रकबे को सही प्रकार से खंसरे में दर्ज करने हेतु विशेष प्रयास किए जा सके। साथ ही पटवारी को फसल पूर्वानुमान हेतु फसलों के रकवे की जानकारी राजस्व निरक्षक को प्रतिवेदित करते समय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करना चाहिऐ। विवाद की स्थिति में पटवारी तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर जाकर वास्तविक रकवे का पता लगावें। इसी प्रकार द्वितीय व अंतिम पूर्वानुमान में फसलों के उत्पादन के संबंध में आनावारी की जानकारी प्रतिवेदित करते समय भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को फसल की स्थिति के बारे में पटवारी से चर्चा करनी चाहिए ताकि सही आनावारी प्रतिवेदित की जा सके।

(ब) राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर फसलों के क्षेत्रफल व अनावारी की जानकारी राजस्व निरीक्षक, पटवारियों के सहयोग से प्रतिवेदित करते है। उस

जानकारी को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिये कृषि विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से संपर्क करें तथा क्षेत्रफल व आनावारी के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में दोनों अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगावें एवं सही जानकारी पूर्वानुमानों में प्रतिवेदित की जाए। राजस्व निरीक्षक पूर्वानुमान अधीक्षक भू–अभिलेख की ओर भेजने के पूर्व कृषि विकास अधिकारी (कृषि व उद्यानिकी) के हस्ताक्षर करा लेवें। किन्तु यह ध्यान रखा जाए कि कृषि विकास अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण पूर्वानुमान को विलंबित न किया जाए। जो दिनांक इन्हें भेजने के लिए निर्धारित है, अवश्य ही प्रतिवेदन अधीक्षक भू–अभिलेख की ओर भेज दिया जाये।

(स) जिला स्तर पर अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा जिले के लिए फसल पूर्वानुमान तैयार किया जाकर आपके अनुमोदनार्थ रखा जाता है तथा इस पर उप संचालक, कृषि की सहमति भी प्राप्त की जाती है। यदि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा उप संचालक, कृषि की सहमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो आप उन्हें कृपया निर्देशित करें कि वे ऐसी सहमति प्राप्त करें तथा पूर्वानुमान आपके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। आपके द्वारा विभिन्न विभागों की समीक्षा हेतु आयोजित साप्ताहिक अथवा अन्य बैठक में भी कृपया उप संचालक, कृषि तथ अधीक्षक भू–अभिलेख को बुलाया जाए व उसे माह में भेजे जाने वाले फसल पूर्वानुमानों के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल व आनावारी के बारे में चर्चा की जाये तथा दोनों विभागों का मत प्राप्त किया जाय। विवाद की स्थिति में आपका निर्णय अंतिम होगा आवश्यकतानुसार आप स्थल जांच कराकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकते है, ताकि पूर्वानुमान में सही–सही जानकारी प्रतिवेदित हो सके इस पूर्ण प्रक्रिया में कृपया यह ध्यान रखें कि पूर्वानुमान भेजने हेतु जो तारीख निर्धारित है, उस तारीख तक आवश्य ही पूर्वानुमान संबधित को भेज दिया जाए।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख द्वारा जिले में किये जाने वाले क्षेत्राच्छादन के संकलित आकड़ों के भेजने के पूर्व प्रत्येक जिले से प्रतिवेदन प्रपत्र अधीक्षक भू–अभिलेख, उप संचालक कृषि एवं सहायक संचालक उद्यानिकी के हस्ताक्षर उपरान्त कूलेक्टर के माध्यम से भेजा जावे ताकि राज्य में कृषि सांख्यिकी के आकड़ों में किसी प्रकार की भिन्नता न हो सके।

साथ ही वर्ष 2004 के आंकड़ों का फसलवार एवं तहसीलवार परीक्षण करने पर निम्नांकित प्रमुख फसलों के क्षेत्राच्छादन में निम्नांकित तहसीलों में अधिकतम अन्तर पाया गया है। अतएव प्राथमिकता के आधार पर नीचे दर्शाई गई तहसीलों में खरीफ फसलों के ही दौरान पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया जाय व दिनांक 30.09.2005 तक संयुक्त प्रतिवेदन उप संचालक कृषि एवं अधीक्षक भू–अभिलेख के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त कलेक्टर के माध्यम से भेजा जाय।

क्र.	फसल	जिला	तहसील	कृषि विभाग	भू–अभिलेख	अंतर
1	2	3	4	5	6	7
1	धान	दुर्ग	नवागढ़	26250	38596	12346
2	चना	दुर्ग	नवागढ़	25750	8438	17312
3	मटर	रायपुर	सिमगा	1219	124	1095
4	सोयाबीन	राजनांदगांव	खैरागढ़	8500	2015	6485
5	अरहर	सरगुजा	सुरजपुर	8365	1813	6552
6	गेहूं	सरगुजा	सुरजपुर	6571	4036	2535
7	राई–सरसों	सरगुजा	सुरजपुर	8432	3214	5218
8	मक्का	बस्तर	जगदलपुर	9949	6010	3939
9	कुल्थी	बस्तर	जगदलपुर	2103	2	2101

(डॉ.एच.एल. प्रजापति)
(आई.ए.एस.)
संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(आर.सी. सिन्हा)
(आई.ए.एस.)
सचिव / आयुक्त
भू–अभिलेख
छ.ग. रायपुर

3334 / की-10134

पृ.क्रमांक / सां. / / 2004–05 / 1142 रायपुर दिनांक 10/10/05

प्रतिलिपिः–

(1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
(2) निज सचिव, मंत्री, कृषि विभाग, की ओर सूचनार्थ वे कृपया मान. मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगें।
(3) निज सचिव, मंत्री राजस्व विभाग, की ओर सूचनार्थ वे कृपया मान. मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे।

---

(4) स्टॉफ आफिसर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
(5) कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, संत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
(6) संचालक, भू–अभिलेख राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(7) संचालक, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(8) संचालक उद्यानिकी, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(9) अनुविभागीय कृषि अधिकारी–––––––––––––(सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(10) तहसीलदार ––––––––––(सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
(11) सहायक परियोजना अधिकारी (व.कृ.वि.अ.)––––––––––(सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

31/X/05

(डॉ.एच.एल. प्रजापति)
(आई.ए.एस.)
संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

(आर.सी. सिन्हा)
(आई.ए.एस.)
सचिव / आयुक्त
भू–अभिलेख
छ.ग. रायपुर

C:\Documents and Settings\Director Agriculture\Desktop\Letter Statical Book.doc